सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0
7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001
Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांकः 294 / सो.आ.नि.–368 / 2015
दिनाँकः 04 अगस्त, 2015

प्रेषक,

निदेशक,
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
(गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, बलिया, गाजीपुर, कासगंज, चंदौली को छोड़कर)
उत्तर प्रदेश।

विषयः **प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2013–14 में सम्पन्न सोशल आडिट की रिपोर्ट के निष्कर्षों का सार उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक इस निदेशालय के पत्र संख्या 693 / सो0आ0नि0–386 / 2015 दिनांक 16–3–2015, शासनादेश सं0 212 / अड़तीस–7–2014–324नरेगा / 2012 दिनांक 20–1–2014 तथा शासनादेश सं0 1729 / अड़तीस–7–2014–324नरेगा / 2012 दिनांक 04–8–2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र में भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा के पत्रांक प्र0म0ले0 (जी0एण्ड एस0एस0ए0) / एस0एस0–1(नि0) / सोशल आडिट / 115 दिनांक 02–3–2015 (प्रतिलिपि संलग्न) की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए आपसे अपेक्षा की गई थी कि भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित मनरेगा स्कीमों की लेखा परीक्षा नियमावली, 2011 के नियम–3(2) में यथापेक्षित कार्यवाही किए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 तथा 2014–15 में आपके जनपद में सम्पन्न सोशल आडिट प्रतिवेदनों पर की गई कार्यवाही / एक्शन टेकेन रिपोर्ट (ATR) इस निदेशालय को उपलब्ध कराएं। आपसे सोशल आडिट प्रतिवेदनों पर कृत कार्यवाही की सूचना प्राप्त होने पर उसे संकलित कर प्रधान महालेखाकार (जनरल एण्ड सोशल सेक्टर आडिट), उ0प्र0 इलाहाबाद को प्रेषित किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्न प्रारूप पर महात्मा गांधी नरेगा योजना तथा इन्दिरा आवास योजना के सम्बन्ध में ग्राम पंचायतों में वर्ष 2013–14 तथा 2014–15 में कराए गए सोशल आडिट प्रतिवेदनों पर कृत कार्यवाही की सूचना (ATR) इस निदेशालय को तत्काल उपलब्ध कराने के साथ–साथ उसकी एक प्रति अपर आयुक्त (मनरेगा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0 को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें। कृपया सूचना की साफ्ट कापी (excel/doc) की फाइल भी अवश्य उपलब्ध कराएं।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(नरेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक।

Rks/Gen.letter/Desktop

पृष्ठांकन :294 /सो0आ0नि0–386/2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :–

1– प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, अनुभाग–7, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया सोशल आडिट प्रतिवेदनों पर की गई कार्यवाही की सूचना को भी मुख्य विकास अधिकारियों की मासिक बैठक में एजेण्डा बिन्दु के रूप में सम्मिलित कराने की कृपा करें।

2– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के संख्या 2962/अड़तीस–7–12–324नरेगा/2012 दिनांक 09–1–2013 के संदर्भ में सोशल आडिट प्रतिवेदनों पर जनपद स्तर पर की गई कार्यवाही की समीक्षा मासिक रूप से करने का कष्ट करें।

3– अपर आयुक्त (मनरेगा), उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया शासनादेश सं0 212/अड़तीस–7–2014–324नरेगा/2012 दिनांक 20–1–2014 तथा शासनादेश सं0 1729/अड़तीस–7–2014–324नरेगा/2012 दिनांक 04–8–2014 के अनुपालन में सोशल आडिट प्रतिवेदनों पर पाई गई कमियों पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

4– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

5– समस्त जिला विकास अधिकारी, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(नरेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक।

फैक्स / 15/5 पात्र

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (जनरल एण्ड सोशल सेक्टर आडिट)
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE
PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (GENERAL & SOCIAL SECTOR AUDIT).
U.P., ALLAHABAD

सत्यमेव जयते

सं0–प्र0म0ले0(जी0एण्ड एस0एस0ए0) /
एस0एस0– I(नि0) / सोशल आडिट / 115
दिनांक– 02 फरवरी मार्च 2015

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
ग्राम्य विकास विभाग,
उ0प्र0शासन लखनऊ–226001

विषय–सोशल आडिट के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के अनुकम में अवगत कराना है कि भारत सरकार के गजट दिनांक 30जून 2011 में, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना में सोशल आडिट का गठन/कराये जाने से संबंधित विनियम प्रकाशित किया गया है। उक्त नियमावली के नियम 3(2) में प्रावधानित है कि *किसी वित्तीय वर्ष के दौरान की गयी ऐसी सामाजिक लेखापरीक्षाओं के निष्कर्षों का सार राज्य सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को प्रस्तुत किया जायेगा*। उपरोक्त के संबंध में अद्यतन उक्त रिपोर्ट इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त से संबंधित निष्कर्षों का सार इस कार्यालय में प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने की कृपा करें।

भवदीया,

उप महालेखाकार / सोशल सेक्टर– I

सं0–प्र0म0ले0(जी0एण्ड एस0एस0ए0) / एस0एस0– I(नि0) / सोशल आडिट / 115 / तद्दिनांक
TR No-101

प्रतिलिपि– निदेशक, सामाजिक लेखापरीक्षा संगठन सातवां तल, पी0सी0एफ0भवन, 32 स्टेशन रोड लखनऊ–226001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप महालेखाकार / सोशल सेक्टर– I

'सत्यनिष्ठा भवन' 15-ए, महर्षि दयानन्द मार्ग, इलाहाबाद.1 दूरभाष : कार्यालय 2420441 फैक्स : 0532-2424102
'Satyanishtha Bhawan' 15-A, Maharshi Dayanand Marg, Allahabad-1 Ph. Off. : 2420441 Fax : 0532-2424102

महात्मा गांधी नरेगा योजना

सोशल आडिट प्रतिवेदन का सारांश			
जनपद का नाम			
विकासखण्ड का नाम	ग्रामपंचायत का नाम	सोशल आडिट की तिथि	वित्तीय वर्ष जिसके लेखों/कार्यों का सोशल आडिट किया गया

सोशल आडिट के निष्कर्षों का शीर्षकवार सारांश एवं प्रकाश में आई कमियों का विवरण	
1.परिवारों का पंजीकरण से सम्बन्धित (नाम सहित पूर्ण विवरण)	
2.जॉब कार्ड से सम्बन्धित (नाम सहित पूर्ण विवरण)	
3.काम के लिए आवेदन पत्र से सम्बन्धित (नाम सहित पूर्ण विवरण)	
4.काम का आवंटन से सम्बन्धित (नाम सहित पूर्ण विवरण)	
5.मजदूरी तथा बेरोजगारी भत्ता का भुगतान से सम्बन्धित (नाम सहित पूर्ण विवरण)	
6(क).कराए गए कार्य अनुमोदित कार्यों की श्रेणी में न होने से सम्बन्धित (कार्यों के नाम सहित पूर्ण विवरण)	
6(ख).कार्यों का चयन एवं कार्य–आदेश से सम्बन्धित (कार्यों के नाम सहित पूर्ण विवरण)	
7(क). सामग्री की दरें एवं मात्रा से सम्बन्धित (कार्यों के नाम सहित पूर्ण विवरण)	
7(ख). कार्य का क्रियान्वयन तथा पर्यवेक्षण से सम्बन्धित (कार्यों के नाम सहित पूर्ण विवरण)	
8.सोशल आडिट के दौरान दृष्टिगोचर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं/ कमियों से सम्बन्धित (नाम सहित पूर्ण विवरण)	
9. अन्य बिन्दु/अभ्युक्ति (नाम सहित पूर्ण विवरण)	

(यदि आवश्यक हो, कृपया अतिरिक्त पन्ने जोड़ें।)

दिनांक :

हस्ताक्षर :
नाम :
जिला विकास अधिकारी

इन्दिरा आवास योजना

सोशल आडिट प्रतिवेदन का सारांश			
जनपद का नाम			
विकासखण्ड का नाम	ग्रामपंचायत का नाम	सोशल आडिट की तिथि	वित्तीय वर्ष जिसके लेखों/कार्यों का सोशल आडिट किया गया

सोशल आडिट के निष्कर्षों का शीर्षकवार सारांश एवं प्रकाश में आई कमियों का विवरण	
1. वरीयता क्रम का उल्लंघन होने से सम्बन्धित (नाम सहित पूर्ण विवरण)	
2. इन्दिरा आवास आवंटित परिवार का अनर्ह होने से सम्बन्धित (नाम सहित पूर्ण विवरण)	
3. आवास का निर्माण पूर्ण न होने से सम्बन्धित (नाम सहित पूर्ण विवरण)	
4. आवास की गुणवत्ता असंतोषजनक होने से सम्बन्धित (नाम सहित पूर्ण विवरण)	
5. आवास हेतु पट्टे की भूमि का उपयुक्त न होने से सम्बन्धित (नाम सहित पूर्ण विवरण)	
6. आवास आवंटन में अनियमित रूप से धनराशि की मांग से सम्बन्धित (नाम सहित पूर्ण विवरण)	
7.शौचालय निर्माण में धनराशि के स्थान पर सामग्री प्राप्त कराने से सम्बन्धित (नाम सहित पूर्ण विवरण)	
8.आवास में शौचालय का निर्मित न होने से सम्बन्धित (नाम सहित पूर्ण विवरण)	
9.आवास के लाभार्थी को राजीव गांधी–विद्युत योजना/किसी अन्य योजना से विद्युतीकरण का लाभ न मिलने से सम्बन्धित (नाम सहित पूर्ण विवरण)	
10.आवास के आस–पास मानकों के अनुसार पेयजल सुविधा उपलब्ध न होने से सम्बन्धित (नाम सहित पूर्ण विवरण)	
11. अर्ह लाभार्थी को मनरेगा से अनुमन्य व्यक्तिगत लाभार्थ परियोजनाओं का लाभ न मिलने से सम्बन्धित (नाम सहित पूर्ण विवरण)	
12. आवास पूर्ण होने पर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र जारी न करने से सम्बन्धित (नाम सहित पूर्ण विवरण)	

(यदि आवश्यक हो, कृपया अतिरिक्त पन्ने जोडें।)

दिनांक :

हस्ताक्षर :
नाम :
जिला विकास अधिकारी